

16/2/21

वकील उभयपक्ष उषल राजीनामा पर उभयपक्ष को सुना गया। वकील अपीलनाथ का कथन है कि प्रकरण में परामर्शों के मध्य राजीनामा हो गया है। अतः युक्तिक राजीनामा अपील स्वीकार करमाई जावे। ईस्यो ० के योग्य अभिभाषक ने अपील स्वीकार करने पर अनापीत जाधि की, आदेशिका पर हस्ताक्षर कराये गये। हमने अभिभाषक उभयपक्ष के बहस तर्कों पर मनन किया एवं राजीनामा का अवगोचन किया।

अतः आदेश है कि युक्तिक राजीनामा अपील अपीलनाथ जाधिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ व्यापारप का अपीलधीन आदेश निरस्त किया जाकर, प्रकरण राजीनामा की डी के साथ, युक्तिक राजीनामा बँबारा हेतु अधीनस्थ व्यापारप को डीप्रिपित किया जाता है। साथ ही उभयपक्ष को भी निर्दिष्ट किया जाता है वह सुनवाई हेतु अधीन मा ० में दिनांक ०५/५/२१ को उपस्थित हों। पत्रावली फंसल शुमार की जाकर नम्बर से रज की जावे, बाद जाता शरिबल रफ्तार है। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

22

हु-उपस्थ अधिकारी,
एदेन
राजस्व मधील अधिकारी
धरपुर संस्थ-धीनप